रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2003/ज्येष्ठ 9, 1925
No. 497] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2003/JYAISTHA 9, 1925

**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 30 मई, 2003

**का.आ. 636(अ).**— भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का0आ0 114 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और उनके विस्तार, प्रचालनों और प्रक्रियाओं पर निबर्धन अधिरोपित किए थे;

और केन्द्र सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में माल चढ़ाने और माल उतारने के लिए जेटी और वारवे के निर्माण की आवश्यकता पर विचार किया हैं

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन किया जाना आवश्यक और लोक हित में समीचीन है।

और, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) में यह उपबंध है कि उप-नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी जब कभी केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी।

और, केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन हेतु उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभियुक्ति देना लोकहित में है;



1516 GI/2003

अतः अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम 3 और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) पैरा 3 के, उप-पैरा (2) में, मद (ii) के लिए निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित किए जाए,

नामतः-

(ii) पत्तनों, बन्दरगाहों और लाइटहाऊसो के परिचालनात्मक निर्माण तथा जेटी ,वारवेस क्वेस, स्लिपवेज, पाइपलाइन्स के परिचालनत्मक कार्यों और वहन प्रणाली सहित सूचना प्रणाली बशर्ते लक्षद्वीप के संघ शसित क्षेत्र में जेटी और वारके के निर्माण अथवा आधुनिकीकरण अथवा विस्तार और माल चढ़ाने और माल उतारने की सुविधाएं प्रदान करने के मामले में पर्यावरण स्वीकृति दी गई हो और केन्द्र सरकार अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अथवा मान्यता प्राप्त अन्य एजेंसी द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर प्रवालों और संबंधित जैव-विविधता के खतरों को कम करने के लिए पर्यावरण्य सुरक्षा उपाय सुझाए जाएं, "

(ख) अनुबंध I में पैरा 6 में उप-पैरा (2) में

(i) सी आर जेड-I शीर्षक के अंतर्गत कोष्ठक और अक्षर और शब्द " (घ) संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप में जेटी वारवे के परिचलानात्मक निर्माण अथवा जेटी और वारवे के निर्माण, विकास, अथवा आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार अथवा इसके द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर माल चढ़ाने अथवा माल उतारने की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रवालों और संबंधित जैव विविधता के खतरे को कम करने के लिए अपेक्षित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के सुझाव, और, (ड़) "

(ii) सी आर जेड III शीर्षक के अंतर्गत खण्ड (ii ड़) के बाद निम्नलिखित खण्ड सम्मिलित किए जाए नामतः-
" (ii च) संघ संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप में जेटी का निर्माण और परिचालन "

(iii) सी आर जेड- iv शीर्षक के अंतर्गत उप शीर्षक के अंतर्गत " लक्षद्वीप और छोटे द्वीप समूह; के खण्ड ( i सी) बाद निम्नलिखित खण्ड सम्मिलित किया जाए, अर्थात

"(I घ) जेटी और वारवे का परिचालनात्मक निर्माण अथवा जेटी और वारवे का निर्माण केन्द्र सरकार अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत अथवा मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर मामला दर मामला आधार पर प्रवालों और संबंधित जैवविविधता के खतरों को कम करने के लिए दिए गए पर्यावरण्य सुरक्षात्मक उपायों के सुझाव पर किया जाए ।

[फा. सं. एच-11011/6/97-आई ए-III खण्ड II]

डॉ. वी. राजागोपालन, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** प्रमुख अधिसूचना, भारत के राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 1991 के संख्या ए.ओ. 114 (ई) के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधत की गई ।

(i) का.आ. 595 (इ) दिनांक 18 अगस्त,1994
(ii) का.आ. 73 (इ) दिनांक 31 जनवरी, 1997
(iii) का.आ. 494 (इ) दिनांक 9 जुलाई, 1997
(iv) का.आ. 334 (इ) दिनांक 20 अप्रैल, 1998
(v) का.आ. 873 (इ) दिनांक 30 सितम्बर, 1998
(vi) का.आ. 1122 (इ) दिनांक 29 दिसम्बर, 1998
(vii) का.आ. 998 (इ) दिनांक 29 सितम्बर, 1999
(viii) का.आ 730 (इ) दिनांक 4 अगस्त, 2000
(ix) का.आ. 900 (इ) दिनांक 29 सितम्बर, 2000
(x) का.आ. 329 (इ) दिनांक 12 अप्रैल, 2001
(xi) का.आ. 988 (इ)दिनांक 3 अक्तुबर, 2001
(xii) का.आ. 550 (इ) दिनांक 21 मई, 2002
(xiii) का.आ. 52 (इ) दिनांक 16 जनवरी,2003
(xiv) का.आ. 460 (इ)दिनांक 22 अप्रैल, 2003

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2003

**S.O. 636(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.114(E), dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared Coastal Stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas the Central Government has considered the requirement of construction of jetty and wharves for embarkation and disembarkation in the Union Territory of Lakshadweep;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rules;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the aforesaid rules for amending the said notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 ( 29 of 1986) read with sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, -

(a) in paragraph 3, in sub-paragraph (2), for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-

" (ii) operational constructions for ports, harbours and light houses and construction activities of jetties, wharves, quays, slip ways, pipelines and conveying system including transmission lines, provided that, environmental clearance in case of constructions or modernization or expansion of jetties and wharves in the Union territory of Lakshadweep for providing embarkation and disembarkation facilities shall be on the basis of a report of scientific study conducted by the Central Government or any agency authorized or recognized by it suggesting environmental safeguard measures required to be taken for minimizing damage to corals and associated biodiversity." ;

(b) in Annexure I, in paragraph 6, in sub-paragraph (2), -

(i) under the heading, CRZ – I, for the word, brackets and letter " and (d)", the brackets, letters and words "(d) operational construction of jetties, wharves or construction, development or modernization of jetties and wharves in the Union territory of Lakshadweep for providing embarkation or disembarkation facilities on the basis of a scientific study report conducted by the Central Government or any agency authorized or recognized by it suggesting environmental safeguard measures required to be taken for minimizing damage to corals and associated bio-diversity; and (e)";

(ii) under the heading CRZ – III, after clause ( iie), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iif) construction and operation of jetties in the Union territory of Lakshadweep.";

(iii) under the heading CRZ – IV, under the sub-heading ' Lakshadweep and small islands:', after clause (ic), the following clause shall be inserted, namely :-

"(id) operational construction of jetties and wharves or construction, development or modernization of jetties and wharves on the basis of a scientific study conducted by the Central Government or any agency authorized or recognized by it on a case to case basis suggesting environmental safeguard measures required to be taken for minimizing damage to corals and associated biodiversity.".

[F. No. H.-11011/6/97-IA-III Vo. II]

Dr. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

**Note**: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O.114(E), dated, the 19th February, 1991 and subsequently amended *vide*:-

(i) S.O. 595(E) dated 18th August, 1994.
(ii) S.O. 73(E) dated 31st January, 1997.
(iii) S.O. 494(E) dated 9th July, 1997.
(iv) S.O. 334(E) dated 20th April, 1998.
(v) S.O. 873(E) dated 30th September, 1998.
(vi) S.O. 1122(E) dated 29th December, 1998.
(vii) S.O. 998(E) dated 29th September, 1999.
(viii) S.O. 730(E) dated 4th August, 2000.
(ix) S.O. 900(E) dated 29th September, 2000.
(x) S.O. 329(E) dated 12th April, 2001.
(xi) S.O. 988(E) dated 3rd October, 2001.
(xii) S.O.550(E), dated 21st May, 2002.
(xiii) S.O.52(E), dated 16th January, 2003.
(xiv) S.O.460(E), dated 22nd April, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.